

R. M. 118  
 1-5-2015  
 05

न्यायालय श्रीमान महोदय राजस्व मण्डल न्यायालय म.प्र.

अपील 1073-II-15

प्र० क्र०

हजरत सुफी अब्दुल रहमान पिता मोहम्मद कासीम  
 रजा कादरी उम्र 58 साल निवासी ग्राम खिलवीपुरा  
 तहसील मंदसौर के/0 जाकिर पिता अब्दुल रहमान  
 मो. नं. 9926738202. ----- अपीलान्ट

बनाम

- ११ म. प्र. शासन तर्फे ग्राम वासी खिलवीपुरा
- १२ सरप्रंच ग्राम पंचायत खिलवीपुरा
- १३ सचिव ग्राम पंचायत खिलवीपुरा तह. व जिला मंदसौर --- रिस्पोंडेंट

द्वितीय अपील अन्तर्गत नियम 3 म. प्र. पंचायत १ अ  
 पुनरिहाम १ नियम 1955.

क्रमांक 5296  
 रजिस्टर्ड पोस्ट आज  
 दिनांक 11-5-15  
 राजस्व मण्डल न्यायालय

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन  
 केम्प मंदसौर के द्वारा प्रकरण 225/11-12 अपील  
 सुफी अब्दुल रहमान बनाम म. प्र. शासन में पारित  
 दिनांक 11-12-14 आदेश से दुखी होकर यह अपील  
 के दिन मुजरा करते हुये समय अवधि में न्याय निर्णय  
 प्रस्तुत है :-

उक्त अपील न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जि  
 क्र० प्र० क्र० 187/बी-121/2004-05 में पारित आ  
 10-1-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।

माननीय महोदय,

अपीलान्ट को ओर से अपील निम्नवत् पेश है :-

// अपील के आधार //

११ यह कि रिस्पोंडेंट क्रमांक 1 के द्वारा एक शिकायती आवे  
 रिस्पोंडेंट क्रमांक 2 व 3 के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर साहब  
 इस आशय का प्रस्तुत किया कि रिस्पोंडेंट क्रमांक 2 के द्वारा अयोग्य रूप  
 -

A1073-II/13

नंदमौर

21.4.2017

पुनर्स्थापन प्रकरण क्रमांक 1981-PDR/16  
 में पाले आदेश क्रमांक 21.4.2017 से  
 पुनर्स्थापित किया गया। ~~उक्त~~ आदेश की जोर  
 से श्री काजी इरवकाक दुर्गेशी आभेनाथक  
 उपस्थित। ग्राह्यता वा लुना गया। यह अपील  
 मद्रास प्रेक्षागत (अपील एवं पुनरीक्षण) नियम  
 1955 के अन्तर्गत प्रस्ताव की गई है। उक्त  
 आदेशियम के अन्तर्गत अपील सुनने का  
 आदेशिका उस आयाज्य को सबे होने से निगहारी  
 अज्ञात्य की जाती है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
अवकाश

[क्र. प. उ.]